न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 210 सन 2020/ऑन लाईन नम्बरः–2020/00667

अनवान :–

1. राकेश पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
2. हाकम पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
3. रमेश पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
4. विधा पुत्री मनसुखराम पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सन्ती पुत्री मनसुखराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. नीशा उम्र– 16 वर्ष माता पुष्पा नाबालिग जरिये संरक्षक विनोद कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गुजांसरी तहसील भादरा जिला हनुमानढ।
7. अंकित उम्र– 13 वर्ष मात पुष्पा नावालिग जरिये संरक्षक विनोद कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गुजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 163/163 कीक ल 14.1000हैक जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के दादा मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है मनसुखराम के जाजय वारिस उसके पुत्र पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस उसके पुत्र पुत्रीया प्रतिवादी संख्याा 2 ,3 व पुत्री पुष्पा है तथा पुत्री पुष्पा के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ,7 है अर्थात मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो मनसुखराम पुत्र जीवणराम की कृषि भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो काफी वृद्व हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी की बहने की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मनसुखराम पुत्र जीवणराम वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त होने पर उसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज सम्पति को पाने के अधिकरी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई / पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 163 / 163 कीक ुल 14.1000हैक जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के दादा मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है मनसुखराम के जाजय वारिस उसके पुत्र पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस उसके पुत्र पुत्रीया प्रतिवादी संख्याा 2 ,3 व पुत्री पुष्पा है तथा पुत्री पुष्पा के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ,7 है अर्थात मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो मनसुखराम पुत्र जीवणराम की कृषि भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो काफी वृद्व हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी की बहने की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनो के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 163 / 163 कीक ुल 14.1000हैक जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मनसुखराम पुत्र जीवणराम का देहान्त हो चुका है मनसुखराम के जाजय वारिस उसाके पुत्र पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस उसाके पुत्र पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 व पुत्री पुष्पा है तथा पुत्री पुष्पा के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ,7 है अर्थात मनसुखराम पुत्र जीवणराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो मनसुखराम पुत्र जीवणराम की कृषि भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ऐला के खताा संख्या 163/146 की कुल 14.100है भूमि जो मनसुखराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 तीनों बहिब के खातेदार काश्ताकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय–वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राकेश पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अमरसिह पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
2. हाकम पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
3. रमेश पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
4. विधा पुत्री मनसुखराम पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सन्ती पुत्री मनसुखराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. नीशा उम्र– 16 वर्ष माता पुष्पा नाबालिग जरिये संरक्षक विनोद कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गुजांसरी तहसील भादरा जिला हनुमानढ।
7. अंकित उम्र– 13 वर्ष मात पुष्पा नाबालिग जरिये संरक्षक विनोद कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गुजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 210 सन 2020 निर्णय दिनांक– 14/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ऐला के खताा संख्या 163/146 की कुल 14.100है भूमि जो मनसुखराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 तीनों बहिब के खातेदार काश्ताकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (श्वेता कोचर)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अमरसिह पुत्र मनसुखराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
2. हाकमराम पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
3. रमेश कुमार पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
4. विधा पुत्री मनसुखराम पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सन्ती पुत्री मनसुखराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. नीशा उम्र– 16 वर्ष माता पुष्पा नाबालिग जरिये संरक्षक विनोद कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गुजांसरी तहसील भादरा जिला हनुमानढ।
7. अंकित उम्र– 13 वर्ष मात पुष्पा नाबालिग जरिये संरक्षक विनोद कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गुजासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 210 सन 2020 निर्णय दिनांक– 14.10.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ऐला के खता संख्या 163/146 की कुल 14.100है भूमि जो मनसुखराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 तीनों बहिब के खातेदार काश्ताकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner